एनसीआईसी / 1ए / 2023–24 / 17 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्रीमान डॉ. प्रीतिन्दर सिंह, आई.पी.एस.
पुलिस आयुक्त,
आयुक्तालय, आगरा।

महोदय,

हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक करने के लिए हम आभारी हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा विधि–व्यवस्था एवं यातायात में सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी विधि–व्यवस्था एवं यातायात में सुधार की अभी भी पर्याप्त आवश्यकता है। इस हेतु हम निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

1. जीवनी मण्डी चौराहे पर यमुना किनारे रोड पर दोनों ओर लोडिंग वाहन खड़े रहते हैं। इस कारण धर्मकांटे से जीवनी मण्डी चौराहे तक वाहन बहुत ही धीमी गति से पास होते हैं। फलस्वरुप यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। इन लोडिंग वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाये। इस चौराहे पर जाम की समस्या खाटू श्याम जी के मन्दिर के बनने के बाद और गम्भीर हो गई है। अतः जीवनी मण्डी चौराहे पर स्थाई यातायात प्रबन्धन किया जाये।
2. रामबाग चौराहे व हाथरस रोड पर थ्री व्हीलर अव्यवस्थित खड़े रहते हैं। रामबाग चौराहे से भाटिया पैट्रोल पम्प तक दोनों ओर प्राइवेट बसें एवं अन्य माल वाहन दिन भर खडे रहते हैं। क्योंकि वे नम्बर से जाती है। परिणाम यह होता है कि फैक्ट्री की ओर से आने वाले वाहनों को मुख्य मार्ग पर मुड़ते समय आने वाले वाहन नहीं दिखते हैं। अतः आये दिन दुर्घटना होती रहती है।
3. संजय प्लेस, यमुना किनारा मार्ग आदि पर उपलब्ध स्थानों पर वाहन पार्किंग की स्थाई व्यवस्था की जाये। एम. जी. रोड पर हरीपर्वत चौराहे एवं सेन्ट जोन्स चौराहे पर बायीं तरफ जाने वाले वाहनों के लिए जगह नहीं रहती है। हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाये कि शहर के मुख्य चौराहों पर वाहन क्रॉस लाइन के अन्दर ही खड़े हों।
4. गुरुद्वारा से सिकन्दरा चौराहे के मध्य कोई कट नहीं होने के कारण सारा यातायात लोड गुरुद्वारे व सिकन्दरा पर पड़ता है जिससे यू–टर्न लेने में परेशानी होती है। सिकन्दरा से कैलाशपुरी फ्लाई ओवर तथा ट्रांसपोर्ट नगर के ओर अपने जाने वाले सभी वाहन इसी चौराहे से गुजरते हैं। हमारा सुझाव है कि दोनों चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाये।
5. आजकल साइबर क्राइम पर बहुत ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। इसलिये साइबर क्राइम प्रकोष्ठ को और अधिक सक्रिय बनाया जाये ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं पर नियन्त्रण हो। साथ ही घटना घटने पर पीड़ित को शीघ्र राहत मिले और हड़पी गई राशि उसे शीघ्रता से मिल सके।
6. महोदय, वर्तमान में उद्योग एवं व्यापार हेतु डिजिटल डाटा एवं डिजिटल कम्युनिकेशन अनिवार्य हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा ही यह तकनीकी सम्भव है। जिसमें उस कम्पनी से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाएं जैसे बैलेंस शीट, आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, वेंडर्स की सूची आदि का डाटा उसके कंप्यूटर पर रहता है। यदि वह कर्मचारी कम्पनी से नौकरी छोड़कर चला जाता है और वह बहुत सारी सूचनाएं / कम्पनी का डाटा आदि पेनड्राइव में चोरी कर साथ ले जाता है तथा उसका दुरुपयोग करके उस कम्पनी की छवि धूमिल करता है और उसके गोपनीय कागजातों / सूचनाओं को दूसरी जगह शेयर करता है। ऐसा कर्मचारी जानबूझकर पोर्टल का पासवर्ड व डीएससी का पासवर्ड बदल देता है, उसके ऊपर आईपीसी, आईटी अधिनियम की धारा 43, 65, 66, 72, 76 एवं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट की धारा 378, 405 और 408 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी सितम्बर 2023 में अपरायुक्त पुलिस, श्री केशव प्रसाद चौधरी द्वारा 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। निवेदन है कि

सम्बंधित थानेदार, सहायक पुलिस आयुक्त महोदय को शीघ्र मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित करने की अनुकंपा करें। इस विषय पर विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

7. कई बार आलू व्यापारी व किसान शीतगृहों को भुगतान नहीं करते हैं। जिससे शीतगृह के समक्ष सुचारु संचालन में कठिनाई हो जाती है। आपसे निवेदन है कि शीतगृहों के भुगतान रिलीज कराने एवं उद्यमियों की अन्य समस्याओं के लिये कोई उद्यमी थाना या नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये।
8. पुरानी मण्डी से ताजमहल के दक्षिणी गेट की तरफ ताजमहल के तीनों द्वारों को जोड़ने वाले मार्ग पर अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए यातायात प्रबन्धन योजना बनाई जाये। इस मार्ग को ''नो वेटिंग'' ''नो होकिंग'' जोन घोषित किया जाये। साथ ही इस मार्ग पर दो हैड कांसटेबिल जिनको चालान काटने का अधिकार हो, उनको मुख्य मार्ग पर खडे वाहनों के चालान करने के लिए स्थाई रुप से नियुक्त किया जाये ताकि यह मार्ग जाम मुक्त रह सके। पुरानी मण्डी पर स्थाई रूप से यातायात प्रबन्धन योजना बनाई जाये। विशेषतः सप्ताहंत में जब भारी संख्या में पर्यटक ताहमहल देखने आते हैं। ताजमहल में पूर्वी एवं पश्चिमी द्वारों पर हर वक्त बड़ी संख्या में हॉकर्स एवं वेंडर्स सामान बेचने के नाम पर पर्यटकों को परेशान करते हैं। इन पर स्थाई रोक लगाई जाये। इन पर रोक लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी है।
9. जिन मार्गों पर शराब के माडल शॉप की दुकानें हैं, वहीं पीने वाले खुले में सड़क पर इन मादक पदार्थों का प्रयोग ''ओपन बार'' की तरह करते हैं। इन दुकानों के आस–पास अण्डे की ठेल, नमकीन, पानी की बोतलों आदि विक्रय वाले ठेलें लगा लेते हैं जिससे सड़क अवरुद्ध हो जाती है और यातायात जाम हो जाता है। महिलाओं एवं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होना प्रारम्भ हो जाता है और वे स्वयं को असुरक्षित अनुभव करती हैं।
10. फाउण्ड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गयी हैं जिससे इस क्षेत्र के उद्यमियों में भय का माहौल है और अत्यधिक संख्या में अवैध खोखे भी रखे जा रहे हैं। कारखानों में चोरियां हो रही हैं।
11. महोदय, रूई मण्डी से बारह खम्भा एवं बारह खम्भा से अर्जुन नगर के लिये एक ही सड़क पर 2 रेलवे फाटक (फाटक नं. 77 एवं 75) हैं। यहां से लाखों लोग प्रतिदिन निकलते हैं। 77 फाटक पर दिन भर भारी संख्या में सवारी व माल गाड़ियां निकलती हैं जिससे फाटक बार–बार बन्द होता रहता है। यहां से आगे इसी रोड पर अर्जुन नगर की ओर फाटक 75 है जहां रेलगाड़ी व वीआईपी वाहनों का आवागमन होता रहता है। इस दोनों फाटकों पर भारी जाम से जनता त्रस्त है। अतः इन दोनों फाटकों पर दोनों ओर डिवाइडर लगाकर आवश्यक यातायात पुलिस की स्थाई तैनाती सुनिश्चित की जाये।
12. चैम्बर के सदस्यों को पूर्व की भांति विशेष पुलिस अधिकारी के पहचान पत्र जारी किये जायें ताकि पुलिस प्रशासन को चैम्बर द्वारा यथा संभव सहयोग प्रदान किया जा सकें।

आपसे विनम्र निवेदन है कि चैम्बर के साथ माह में एक बार एक बैठक आवश्य आयोजित की जाये।

सादर,

भवदीय

(राजेश गोयल) अध्यक्ष	(नरिन्दर सिंह) पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन स्थानीय प्रशासन समन्वय प्रकोष्ठ	(सीताराम अग्रवाल / संजय अरोड़ा) कार्यक्रम संयोजक